

## आवश्यक सूचना

राजकीय महाविद्यालय भरतू कला में पढ़ने वाले BC/OBC वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा BC/OBC के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप (PMS) 2021-22 ( Fresh and Renewal) के लिए online आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए पात्र विद्यार्थी harchhatravratti.highereduhry.ac.in पर अपना online आवेदन कर सकते हैं. इसकी अंतिम तिथि 31.01.2022 है. लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार निले बिना तुरंत अपना आवेदन online करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज श्री अनिल शर्मा, सहायक प्राध्यापक रक्षा अध्ययन और श्री हरीश, प्राध्यापक संस्कृत को प्रत्येक कार्य दिवस में रोजाना 12:30 के बाद जमा करवा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए श्री सीताराम, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र से सम्पर्क करें.

जमा करवाने वाले आवश्यक दस्तावेज:-

1. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, domicile, कॉलेज id कार्ड, फीस चालान, बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र, 10th DMC, 12th DMC, अंतिम पास परीक्षा की DMC/रिजल्ट की कॉपी, परिवार पहचान पत्र (PPP), BPL राशन कार्ड है तो उसकी कॉपी, यदि पिता जीवित नहीं है तो प्रमाण पत्र की self attested कॉपी.

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

1. Aadhaar Card Copy
2. Applicant's Photograph
3. Applicant's Signature
4. Income Certificate
5. Haryana Domicile Certificate
6. Caste certificate
7. 10th Class Certificate
8. 12th Class Certificate
9. Parivar Pehchaan Patra
10. Fee Receipt
11. Last Exam Passed Certificate (Except for 1st Year Students),
12. BPL Certificate (if applicable)
13. Father's Death Certificate (if applicable)

आवश्यक दिशानिर्देश:-

1. आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख (दोई लाख) से अधिक का नहीं होना चाहिए.
2. बैंक खाता खुद का होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए.
3. आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है. यदि आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि 10th के अनुसार परिवार पहचान पत्र में ठीक नहीं है तो पहले PPP को update करवा ले क्योंकि विद्यार्थी का डाटा PPP से ही उठाया जायेगा.
4. फॉर्म भरते समय दाखिला तिथि वही भरनी है जिस तिथि को अपने 2021 में फीस चालान भरा है.
5. जिन विद्यार्थियों ने पिछली साल भी इसी कॉलेज में BC स्कालरशिप के लिए आवेदन किया था उनको नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है.
6. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने कॉलेज में दाखिले के समय जो आय प्रमाण पत्र नया बनवाया था, वही मान्य है. जिन विद्यार्थियों का आय प्रमाण पत्र दाखिले के समय 6 महीने से पुराना था वो नया बनवाने के बाद ही फॉर्म भरे.

Principal  
Govt. College  
Bhatu Kalan (Fatehabad)